

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 152 / 2024 / सरफैरी

सीएसएल फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय-ऑफिस न. 104, फर्स्ट फ्लोर,  
एसआरजी काम्प्लेक्स, सीकर रोड जयपुर (राज.) 302013

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. प्रतीक पारीख पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पारीख पता- 282, पोलो ग्राउण्ड, सहेली नगर,  
जिला-उदयपुर एवं सोल प्रोपराईटर मैसर्स सौम्या एन्टरप्राइजेज, 282, पोलो ग्राउण्ड,  
सहेली नगर, जिला-उदयपुर 313001
2. श्रीमती सोनल पारीख पुत्री श्री राजेन्द्र शाह पता- 282, पोलो ग्राउण्ड, सहेली नगर,  
जिला-उदयपुर एवं सोल प्रोपराईटर सोनल एन्टरप्राइजेज, 282, पोलो ग्राउण्ड, सहेली  
नगर, जिला-उदयपुर 313001
3. श्रीमती कृष्णा पारीख पुत्री श्री कृष्ण दास चारिया पता- 282, पोलो ग्राउण्ड, सहेली  
नगर, जिला-उदयपुर एवं सोल प्रोपराईटर श्री कृष्णा एन्टरप्राइजेज, 282, पोलो  
ग्राउण्ड, सहेली नगर, जिला-उदयपुर 313001
4. सुरेश चन्द्र पारीख पुत्र श्री कन्हैयालाल पारीख पता- 282, पोलो ग्राउण्ड, सहेली नगर,  
जिला-उदयपुर एवं सोल प्रोपराईटर मल्टी मिडिया गैलेरी, 282, पोलो ग्राउण्ड, सहेली  
नगर, जिला-उदयपुर 313001
5. दी डायरेक्टर सौम्या सॉफ्टेक प्रा.लि. पता- प्लॉट न. 9, 100 फीट रोड, माधव नगर,  
शोभागपुरा, उदयपुर 313001

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और  
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



**उपस्थित: श्री चेतन मेनारिया अधिवक्ता प्रार्थी**

**आदेश**

दिनांक 19-11-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की  
प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध  
अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण  
को राशि कुल 2,00,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः  
भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (सम्पत्ति मकान पट्टा नम्बर-299, प्लॉट न. 08,  
खसरा न. 2624, 2625, 2626, स्थित राजस्व ग्राम देवाली, (शोभागपुरा) जिला-उदयपुर  
में स्थित मकान जिसका कुलिया क्षेत्रफल 1782.62 वर्ग फीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं  
निम्न है- पूर्व में रोड, पश्चिम में अन्य भूमि, उत्तर में विद्या भवन, दक्षिण में प्लॉट न.  
09) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण

**जिला कलक्टर  
उदयपुर**

द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 10.06.2024 तक 2,33,86,490/-रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि कुल 2,00,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 10.06.2024 तक 2,33,86,490/-रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (सम्पत्ति मकान पट्टा नम्बर-299, प्लॉट न. 08, खसरा न. 2624, 2625, 2626, स्थित राजस्व ग्राम देवाली, (शोभागपुरा) जिला-उदयपुर में स्थित मकान जिसका कुलिया क्षेत्रफल 1782.62 वर्ग फीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न है- पूर्व में रोड, पश्चिम में अन्य भूमि, उत्तर में विध्या भवन, दक्षिण में प्लॉट न. 09) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर